वित्तीय स्वीकृति

संख्याः–2424/XVII-3/2018-09(13)/2017

प्रेषक,

कै. आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 19 फरवरी, 2018

विषयः–केन्द्र सहायतित बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद देहरादून के ब्लॉक विकासनगर के 33 राजकीय विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि की वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1126/नि.स.क./M.S.D.P.–शौचालय/जी.एस.टी./2017–18, दिनांक 29.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद देहरादून के ब्लॉक विकासनगर के 33 राजकीय विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था 'ब्रिडकुल' द्वारा गठित आगणन सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार के पत्र सं0–3/20(2)/2013–पी0पी0–1 (पीटी.), दिनांक 31.03.2017 के संलग्नक–1 के क्रमांक–3 पर प्रश्नगत निर्माण कार्यो हेतु कुल ₹58.08लाख अनुमोदित करते हुए केन्द्रांश ₹46.464लाख में से प्रथम किश्त के रूप में ₹23.232लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगणन ₹77.22लाख (इकाई लागत ₹2.34लाख) के तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण संस्तुत लागत ₹59.40लाख (इकाई लागत ₹1.80लाख) के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत ₹58.08लाख (केन्द्रांश ₹46.464लाख+राज्यांश ₹11.616लाख)(इकाई लागत ₹1.76लाख) की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त 80प्रतिशत केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि ₹23.232 लाख तथा निर्धारित राज्यांश की प्रथम किश्त ₹5.808लाख अर्थात ₹29.04लाख (₹ उनतिस लाख चार हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में अवमुक्त करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उपरोक्त कार्य को उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि से ही वांछित गुणवत्ता एवं समयबद्धता पूर्वक सम्पूर्ण कराया जायेगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगा तथा भारत सरकार की स्वीकृति पत्र दिनांक 31.03.2017 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 में द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. उक्त कार्य को सम्पादित कराते समय एम.एस.डी.पी. योजना की गाईडलाइन का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाये। उक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराकर संबंधित विभाग को हस्तान्तरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. कार्यदायी संस्था द्वारा एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय के अंतर्गत निर्माण कार्य को पूर्ण कर हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाये। किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने में कार्यदायी इकाई असफल रही है, तो लागत का वसूली निर्माण इकाई से की जायेगी।
6. परीक्षण के सन्दर्भ में नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्पन्न कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्जेज से वहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आख्या शासन को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
8. कार्य में मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
9. आंगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड आधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
10. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से की गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
11. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
12. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
13. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यो को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
14. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
15. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
16. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
17. कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जी0पी0 डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
18. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन किया जायेगा।
19. यदि कार्यदायी संस्था द्वारा उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते में जमा कर ब्याज अर्जित किया जायेगा, तो अर्जित ब्याॅज की धनराशि को कोषागार में जमा कराये जाने का प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के मुख्य लेखाशीर्षक 4250–अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय–800–अन्य व्यय–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0103–अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टोरल विकास योजना के मानक मद–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्या:183/XXVII-I/2012, दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संख्या–S1802150235 ,दिनांक 19 फरवरी, 2018 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 153(म.)/XXVII-3/2018, दिनांक 01 फरवरी, 2018 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(कै. आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:–2424/ XVII-3/~~2018~~, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक 'ब्रिडकुल', इकाई कार्यालय अवस्थापना भवन, राजकीय आई.टी.आई. निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।